समाचार.प्रकाषनार्थरू.

मवेषियों को खुला छोड़ने पर 4 मवेषी पालकों पर 1000.1000 का जुर्माना

अध्यादेष की मंजूरी के बाद तत्काल कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 27 अप्रैल । मध्यप्रदेष नगर पालिक विधि संषोधन अध्यादेष के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेषी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेषियों को सड़कोंए चौराहोंए सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते है उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेषी पालकों पर 1000.1000 की राषि का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष नगर पालिक विधि संषोधन अध्यादेष के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम रतलाम द्वारा मवेषी पालकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत तैलियों की सड़क व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेषी पालक सुनील राठौरए अषोक राठौरए नितिन राठौर व जगदीष राठौर द्वारा अपने मवेषियों को खुला छोड़ने पर 1000.1000 का जुर्माना किया गया यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

ऐसे मवेषी पालक जो कि रतलाम नगर की सड़कोंए चौराहोए सार्वजनिक स्थानों आदि क्षेत्रों में अपने मवेषियों को खुला छोड़ेंगे तो संबंधित मवेषी पालक के विरूद्ध 1000 की राषि का जुर्माना किया जायेगा।

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगो के निराकरण के संबंध में हुई चर्चा

रतलाम 27 अप्रैल । नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के संबंध में चर्चा करते हुए 12 जायज मांग पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहमति प्रदान कर मांगो का समय.सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देषित किया।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेषचन्द्र व्यासए मोहम्मद हनीफ षेक्षए जीण्केण जायसवालए प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाष आचार्यए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए सहायक वर्ग.2 श्री गोपाल झालीवालए सहायक वर्ग.3 श्री प्रकाष चौहानए नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सर्वश्री राजेन्द्रसिंह राठौरए हेमन्त सोलंकीए इलियास मंसूरीए कुलदीप भट्टए कैलाष गेहलोतए हेमन्त बन्दोडियाए मनीश परिहारए जयदीप गोहिलए योगेष कपूरए विषाल भटनागर आदि उपस्थित थे।

गंदगी करने पर 4 दुकानें सील

रतलाम 27 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन व दुकानें सील करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को सज्जन मिल रोड क्षेत्र में गोस्वामी ऑटो सेन्टरए लक्की षॉकप रिपेयरिंग सेन्टरए भवानी ऑटो पाटर््स व त्रिदेव गैस अप्लासेंस को गंदगी करने पर सील किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 10ण्17 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 27 अप्ैरल । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 27 अप्रैल को कुल राषि रूपये 10ए17ए522ध् का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 27 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 320615ए वसूली दल 201556 कुल 522171ए जलकर कार्यालय से 221320ए वसूली दल 74140 कुल 295460ए स्पॉट फाईन 13500ए लायसेंस 63741ए दुकान.गुमटी किराया कार्यालय 122650 इस तरह कुल राषि रूपये 10ए17ए522ध् का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

27 अप्रैल मंगलवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 27 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

27 अप्ैरल बुधवार को डम्पर से 33515 किलोए टेª क्टर से 8340 किलोए मैजिक सूखा कचरा 49630 किलोए मैजिक गीला कचरा 24095 किलो इस तरह कुल 115580 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 27 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में

प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 27 अप्रैल को प्रातः 10 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

27 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में बादल.दिलीपए अजय.विनोदए उमेष.प्रहलादए विजय.सुरेषए झोन क्रमांक 2 में नितिन.कमलए मोहित.गोपालए रमेष.मुंषीए महेन्द्र. नेहरूए रवि.सुरेषए इन्द्राबाई पति दिनेषए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में उशाबाई पति मनोहरए अनिताबाई पति दीपकए कलाबाई पति पिस्तोलए झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र.कन्हैया इस तरह 14 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 19 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 27 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 26 अप्रैल मंगलवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 19 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

26 अप्रैल मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी मंगल.बाबुलाल गोहरए षेखर. सोहनलालए सन्नी.मुकेषए दीपक.रतनए संतोश.जवरचन्दए अमित.कमलए आनन्द. बाबुलालए पंकज.फिरोजए दीपक.पुनमचन्द्रए विजय.सुरेषए नवीन.फिरोजए षैलेन्द्र. रतनलालए राकेष.दुलीचन्दए ओमप्रकाष.नन्दलालए नरेन्द्र.नवीनए रोहित.प्रभुदयालए उमेष.दषरथए हीरा.ष्यामलाल व पर्वत.ईष्वर बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 27 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति

या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक संेटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 27 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक संेटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक संेटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे[a]षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जणसंणविणध्हेमन्तध्27ण04ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण